

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय  
जौनपुर।



पत्रांक:पू.वि.वि./सम्ब./10-68 (दो)/2013/1144

दिनांक: 26-6-2013

सेवा में,

प्रबन्धक,  
स्व0 ईशदत्त स्मारक महाविद्यालय,  
देवाराकदीम, महाराजगंज-आजमगढ

विषय:- प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-13.05.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 ईशदत्त स्मारक महाविद्यालय, देवाराकदीम, महाराजगंज-आजमगढ की प्रबन्ध समिति को अनुमोदन के निमित्त अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि दिनांक- 12.05.2013 को निर्वाचित प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरण में प्राप्त अभिलेखों एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित पर्यवेक्षक की आख्या पर विचारोपरान्त कुलपति जी ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-2 (13) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रबन्ध समिति को चुनाव तिथि से पॉच वर्षों के लिए मान्यता प्रदान करने की कृपा की है।

| क्र. | नाम                   | पिता का नाम                                               | पद          |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 1.   | श्री कर्मचन्द्र       | पुत्र स्व0 सोहन यादव                                      | अध्यक्ष     |
| 2.   | श्रीमती नीलम          | पुत्री- श्री विष्णुदेव यादव<br>पत्नी-स्व0 दीप नारायण यादव | उपाध्यक्ष   |
| 3.   | श्री राकेश कुमार यादव | पुत्र श्री मोती लाल यादव                                  | प्रबन्धक    |
| 4.   | श्री जय प्रकाश        | पुत्र श्री रमेश यादव                                      | उप प्रबन्धक |
| 5.   | श्री संजय कुमार       | पुत्र श्री मोहन यादव                                      | कोषाध्यक्ष  |
| 6.   | श्री गुलाब चन्द्र     | पुत्र श्री कामता प्रसाद यादव                              | सदस्य       |
| 7.   | श्री अवधेश शुक्ल      | पुत्र श्री परमेश्वर शुक्ल                                 | सदस्य       |

उपरोक्त प्रबन्ध समिति में प्राचार्य पदेन सदस्य होंगे तथा शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व चक्रानुक्रम में ज्येष्ठता क्रम में सम्बद्ध परिनियमों में अधिकथित प्राविधानों के अनुसार होगा।

भवदीय

कुलसचिव